न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/14 **दायरा दिनांक : 29.01.2024**

उनवान

1. कुन्दन सिंह आत्मज रामपाल
2. कन्हैया सिंह आत्मज रामपाल
3. रामपाल आत्मज पॉच्या
4. हमीर सिंह आत्मज रामपाल अकवाम पिण्डारा, निवासीयान आनन्द बिहार कॉलोनी, मेडिकल कॉलेज के पास झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

संशोधन आज्ञा दिनांक 4.11.24

बनाम

1. अन्जू शर्मा पत्नी आशीष वर्मा शर्मा, जाति गौड ब्राहमण, निवासी सागरमलजी के कुए के पास झालावाड राजस्थान
2. अर्चना शर्मा पत्नी सुशील सुनील कुमार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी बिचोलीरोड़ इन्दौर मध्यप्रदेश
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/81 **दायरा दिनांक : 25.06.2024**

उनवान

1. कुन्दन सिंह आत्मज रामपाल
2. कन्हैया सिंह आत्मज रामपाल
3. रामपाल आत्मज पॉच्या
4. हमीर सिंह आत्मज रामपाल अकवाम पिण्डारा, निवासीयान आनन्द बिहार कॉलोनी, मेडीकल कॉलेज के पास झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

संशोधन आज्ञा दिनांक 4.11.24

बनाम

1. अन्जू शर्मा पत्नी आशीष वर्मा शर्मा, जाति गौड ब्राहमण, निवासी सागरमलजी के कुए के पास झालावाड राजस्थान
2. अर्चना शर्मा पत्नी सुशील सुनील कुमार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी बिचोलीरोड़ इन्दौर मध्यप्रदेश
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रामबाबू माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 29.10.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 974/2022 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2023 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 25.01.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि मुताबिक जमाबंदी ग्राम झालावाड सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार खाता संख्या नया 342 पुराना 392 के अनुसार खसरा नं. 2197 रकबा 0.0632 हेक्टर, खसरा नं. 3234/2193 पूर्व दिशा की 0.1517 हेक्टर, खसरा नं. 3236/2195 पूर्व दिशा की 0.1897 हेक्टर, खसरा नं. 3238/2196 पूर्व दिशा की 0.0632 हेक्टर, खसरा नं. 3240/2198 पूर्व दिशा की 0.2655 हेक्टर, खसरा नं. 3242/2199 पूर्व दिशा की 0.5437 हेक्टर कुल 6 किता की 1.2770 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2023 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 25.01.2024 से वादीगण का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण तथा अपीलार्थी प्रतिवादी सं. 1 कमांक 4 के मध्य उक्त कृषि भूमि से संबंधित पारिवारिक विभाजन दिनांक 13.11.2013 से ही हो चुका था जो कि वादीगण एवं अपीलार्थी प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 के पिता प्रतिवादी सं. 3 ने सबके हितों को दृष्टिगत रखते हुए किया था जिसके अनुसार ही पक्षकारान मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, जो सबके ज्ञान में है। इस कारण मीट्स एण्ड बाउण्ड के अनुसार पक्षकारान कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं अपितु अपने कार्य व व्यवहार के आधार पर पूर्व पारिवारिक विभाजन दिनांक 13.11.2013 को मान्यता देने के कारण विबन्धित है।

उक्त पारिवारिक विभाजन दिनांक 13.11.2013 के अनुसरण में अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 ने उक्त भूमि से संबंधित भू खण्डों का बेचान किया है जिस पर वर्तमान में भू खण्डों के क्रेता काबिज है। वादीगण ने अपीलार्थी प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के द्वारा किये गये बेचान को चुनौती नहीं दी है, न ही भू खण्डों के क्रेता को इस वाद में पक्षकार बनाया है।

अपीलार्थी प्रतिवादी 1 लगायत 4 के किसी कार्य की वजह से किसी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है अपितु प्रत्यर्थीगण वादीगण स्वयं ने ही पारिवारिक विभाजन दिनांक 13.11.2013 से परे जाकर वाद प्रस्तुत कर विवाद की विषयवस्तु उत्पन्न की है। इस कारण वादीगण को कोई वाद प्रस्तुत करने का हक उत्पन्न नहीं होता है न ही उन्हें वादाधिकार प्राप्त था।

प्रत्यर्थी वादी सं. 1 ने स्वयं ने भी उक्त विभाजन को मान्यता देकर ही उक्त कृषि भूमि पर मकान का निर्माण भी किया है जिसमें वर्तमान में भी निर्माण चल रहा है साथ ही पूर्व पारिवारिक विभाजन दिनांक 13.11.2013 के उपरान्त ही खसरा नं. 2193 में रामपाल द्वारा मकान बना है।

वादी सं. 1 का अस्तित्व वादग्रस्त आराजी में अस्तित्व उपपंजीयक झालावाड के कार्यालय में निष्पादित विक्रय पत्र सं. 202101094001966 दिनांक 23.06.2021 के निष्पादन से आया है जिसको न्यायालय सिविल न्यायाधीश, झालावाड के न्यायालय में प्रतिवादी कन्हैया सिंह, कुन्दन सिंह द्वारा चुनौती दे रखी है। इस प्रकार पूर्व पारिवारिक विभाजन दिनांक 13.11.2013 के अनुसार मौके पर जो स्थिति है तद्नुसार ही राजस्व

अभिलेख बनाया जाना न्याय व पक्षकारों के तथा राज्य के हित में होगा अन्यथा पक्षकारान के मध्य विवादों की अधिकता होती रहेगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री रिमाण्ड फरमायी जावे।

प्रारम्भिक डिक्री से अन्तिम डिक्री बनाते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा विभाजन के निर्मित नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.10.2023 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 25.01.2024 अपास्त किया जावे विकल्प में राजस्व अभिलेख तथा भू खण्ड पंजीयन के अनुसार वर्तमान काबिज व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुए वाद में जवाबदेही व सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का आदेश पारित किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 12.01.2024 तथा फाइनल डिक्री की जानकारी दिनांक 23.05.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि समस्त पक्षकारों के मध्य दिनांक 13.11.2013 से पहले ही पारिवारिक विभाजन हो रखा है, व काबिज है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन किया था कि पारिवारिक बंटवारे के अनुसार जो जैसे काबिज है उसे वैसी ही आराजी दे दी जाये। अच्छी भूमि प्रतिवादी को दे दी गयी। वर्तमान में भूमि पर मकान बना रखे है, प्लॉट के बेचान भी समझौते के अनुसार किये है। क्रेता सम्पत्ति पर काबिज है, क्रेता को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। मौके की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गयी। कब्जा भी नहीं देखा गया। वादी रेस्पो0 नं. 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र को सिविल कोर्ट में चुनौती दे रखी है। अतः प्रकरण रिमाण्ड कर जो जैसे बैठा है उसे वह भूमि दे दी जाये और शेष आराजी का बंटवारा कर दिया जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2003 (1) पेज 423 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि हमने आराजी तत्कालीन सहखातेदारान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की। सहखातेदारान ने अपने हिस्से का बेचान किया है। प्राथमिक डिक्री पर अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं है। कन्वर्जन के बिना ही प्लॉट बेचे गये जो गलत है। जो प्लॉट बेचे गये उनका नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। अतः हमने सहखातेदारान के हिस्से के अनुसार ही भूमि क्रय की है। जिसका नामान्तरण खुल चुका है और जमाबंदी में आराजी हमारे नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही व विधि सम्मत होने के कारण अपील खारिज की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.)

पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में अपना 1/6 – 1/6 हिस्सा निहित बताते हुए वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा करने की प्रार्थना की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर दिनांक 26.10.2023 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर यह निर्णय पारित किया कि ग्राम झालावाड़ की नकल जमाबंदी संवत 2074 – 2077 खाता संख्या नया 442 पुराना 392 कुल किता 6 रकबा 1.2770 हेक्टर में वादीगण का 1/6–1/6 हिस्सा पृथक खाते दर्ज किया जावे। तहसीलदार झालरापाटन को "राजस्थान अभिधृति (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18–21 में दी गई प्रकिया अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु आदेश प्रदान किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2023 प्रतिवादी अपीलांट ने विधि विरूद्ध होना बताते हुए अपील संख्या 2024/14 पेश कर तर्क दिया है कि वादग्रस्त आराजी से संबंधित पारिवारिक विभाजन दिनांक 13.11.2013 को हो चुका है जिसके अनुसार पक्षकारान मौके पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। इसी पारिवारिक समझौते के अनुसार प्रतिवादी सं. 1, 2 व 4 ने उक्त भूमि से संबंधित भू खण्डों का बेचान किया है जिस पर वर्तमान में भू खण्डों के केता काबिज है। पूर्व पारिवारिक विभाजन दिनांक 13.11.2013 के अनुसार मौके पर जो स्थिति है तद्नुसार ही राजस्व अभिलेख तथा भू खण्डों के पंजीयन के अनुसार वर्तमान काबिज व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुए वाद में जवाबदेही व सुनवाई का अवसर दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2023 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाये।

प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथन की पुष्टि हेतु दिनांक 13.11.2013 को अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य निष्पादित पारिवारिक बंटवारा/समझौते का दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया और ना ही अधीनस्थ न्यायालय में इस प्रकार का कोई दस्तावेज पेश हुआ है। अपीलांट द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2003(1)पृष्ठ सं. 423 प्रस्तुत अपील पर चस्पा होना नहीं पाया जाता। इसके विपरीत अपीलांट का यह कथन कि प्रतिवादी अपीलांट संख्या 1, 2 व 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि से संबंधित भू खण्डों का बेचान किया है जिस पर वर्तमान में भू खण्डों के केता काबिज है, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 90 ए के प्रावधानों के विपरीत है। कृषि भूमि का बंटवारा व रूपान्तरण कराये बिना ही उसका भू खण्डों के रूप में किया गया बेचान विधि विरूद्ध है। इसके विपरीत वादी रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी संवत 2074–2077 के अनुसार 1/6, 1/6 भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार होने से खातेदारी अधिकारों के अनुसार धारा 53 में बंटवारा करवाने व अपना हिस्सा पृथक से दर्ज करवाने के हकदार है। अपीलांट ने यह भी कथन किया कि वादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र संख्या 202101094001966 दिनांक 23.06.

2021 को न्यायालय सिविल न्यायाधीश झालावाड के न्यायालय में चुनौती दे रखी है परन्तु अपने कथन की पुष्टि हेतु अपील के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने मात्र से किसी रिकॉर्डेड खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2024/14 सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2023 विधि सम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

प्रतिवादी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.10.2023 की पालना में तहसीलदार झालरापाटन द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2024/81 में भी समान तथ्यों को अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2024 को अपास्त कर विकल्प में राजस्व अभिलेख तथा भू खण्डों के पंजीयन के अनुसार वर्तमान काबिज व्यक्तियों को पक्षकार बनाते हुए वाद में जवाबदेही व सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने की प्रार्थना की है। प्रतिवादी अपीलांट की प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि प्रतिवादी अपीलांट द्वारा खातेदारी की कृषि भूमि का बंटवारा व रूपान्तरण करवाये बिना ही उसके भूखण्डों के रूप में किया गया बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 90 ए का उल्लंघन है। निर्धारित क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों के बेचान के अनुसार कृषि भूमि का बंटवारा करने का कोई विधि सम्मत प्रावधान नहीं होने के कारण प्रतिवादी अपीलांट की यह प्रार्थना कि भूखण्डों के पंजीयन के अनुसार वर्तमान काबिज व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर मौके पर जो स्थिति है तद्नुसार ही राजस्व अभिलेख बनाया जाना न्याय व पक्षकारों के हित में होगा स्वीकार योग्य नहीं है। इस हेतु अपीलांट को कृषि भूमि का भूखण्डों के रूप में बेचान करने से पूर्व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत बनाये गये प्रावधानों के अनुसार रूपान्तरण राशि जमा करवाकर आवासीय प्रयोजन हेतु रूपान्तरण करवाने के पश्चात आवासी ले आउट प्लान स्वीकृत करवाते हुए तत्पश्चात भू खण्डों के रूप में बेचान करना चाहिए था, परन्तु अपीलांट द्वारा विधि सम्मत प्रकिया के विरूद्ध जाकर कृषि भूमि का भूखण्डों के रूप में बेचान किया है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2024/81 सारहीन व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक 25.01.2024 विधि सम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/10/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

संशोधन आज्ञा दिनांक 4.11.24

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचंद्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2024 / 14

1. कुन्दन सिंह आत्मज रामपाल
2. कन्हैया सिंह आत्मज रामपाल
3. रामपाल आत्मज पॉच्या
4. हमीर सिंह आत्मज रामपाल अकवाम पिण्डारा, निवासीयान आनन्द बिहार कॉलोनी, मेडिकल कॉलेज के पास झालावाड राजस्थान

..... **अपीलांट**

1. अन्जू शर्मा पत्नी आशीष शर्मा, जाति गौड ब्राहमण, निवासी सागरमलजी के कुए के पास झालावाड राजस्थान
2. अर्चना शर्मा पत्नी सुशील कुमार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी बिचोलीरोड़ इन्दौर मध्यप्रदेश
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड राजस्थान

.... **रेस्पोडेंट**

संशोधन आज्ञा दिनांक 4.11.24

अपील संख्या 2024 / 81

1. कुन्दन सिंह आत्मज रामपाल
2. कन्हैया सिंह आत्मज रामपाल
3. रामपाल आत्मज पॉच्या
4. हमीर सिंह आत्मज रामपाल अकवाम पिण्डारा, निवासीयान आनन्द बिहार कॉलोनी, मेडीकल कॉलेज के पास झालावाड राजस्थान

..... **अपीलांट**

बनाम

1. अन्जू शर्मा पत्नी आशीष शर्मा, जाति गौड ब्राहमण, निवासी सागरमलजी के कुए के पास झालावाड राजस्थान
2. अर्चना शर्मा पत्नी सुशील कुमार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी बिचोलीरोड़ इन्दौर मध्यप्रदेश
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड राजस्थान

... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2024 / 14, 2024 / 81** एवं
मु.द.नं **974 / 2022**

नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़**
निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक **26.10.2023** एवं
फाईनल डिकी दिनांक **25.01.2024**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 04 माह 10 सन् 2024

हाजरी **श्री पूरीलाल राठौर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री रामबाबू माहेश्वरी** अभिभाषक रेस्पोडेंट समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील संख्या 2024 / 14 एवं अपील संख्या 2024 / 81 सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 26.10.2023 तथा अंतिम डिकी दिनांक 25.01.2024 यथावत रखे जाते हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज **तारीख 29 माह 10 सन् 2024** को जारी किया गया।

मोहर

(दीप्ति रामचंद्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज0)